

140/2023 अतीत / अनिल

16.6.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली / चलव किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.6.24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि ~~क्या है~~ तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

24



24.6.24

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हों। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 27.7.24 को पेश हों।

27

27.7.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त न उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर ~~क्या कर~~ करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल नुमां होकर नम्बर से ~~क्या~~ होकर बाद बरती ~~कमील दाखिल~~ ~~हो~~।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)

बिना
(विशेष)
अनिल
Anil
Not present
KJ